

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

डेवुलम वनाम सनापन 250

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
06.04.2021	<p>दावा सु.न.-28/2015</p> <p>पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण की ओर से श्री रामावतार सैनी द्वितीय एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं प्रकरण को नोट-प्रेस में खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः वकील वादीगण के निवेदन पर दावा नोट-प्रेस में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	<p>Not Press [Signature]</p>

